



## EAST COAST RAILWAY

प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी का कार्यालय/  
Office of the Principal Chief Personnel Officer  
द्वितीय तल, - 751 017  
Rail Sadan, IInd Floor, Bhubaneswar-751 017

स्थापना क्रमांक/ Estt.Srl. No. 17/2020  
पूतरे/कार्मिक/आर/ECOR/Pers/R/Miscellaneous

RBE No. 15//2020  
Date: 11.02.2020

सेवा मे,  
सभी प्रमुख विभागाध्यक्षों/समन्वयक विभागाध्यक्षों, पू त रे/भुवनेश्वर  
मं.रे.प्र/व.मं.का.अधिकारी/मं.का.अधिकारी-खोरधारोड,वालातेरू, संबलपुर,  
मु;कारखाना प्रबंधक/कारखाना कार्मिक अधिकारी- मंचेश्वर, अतिरिक्त रजिस्ट्रार/रेल दावा अधिकरण,  
व.का अधिकारी(नि)/भुवनेश्वर  
महा सचिव/इकोर श्र. कां., महा सचिव/इकोर श्र. यू.,  
महा सचिव/एआई ओ बी सी आर ई ए, महा सचिव/ ए आई एस सी एस टी आर ई ए


**Sub: Clarification of grant of Advance incentive increments to sportsperson.**

\*\*\*\*\*

उपर्युक्त विषय पर बोर्ड पत्र सं. 2018/E (Sports)/4(1)/7/INC दिनांक 31.01.2020 की प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित है।

A copy of the Board's Lr. No. 2018/E (Sports)/4(1)/7/INC Dated 31.01.2020 on the above quoted subject is forwarded herewith for information, guidance and necessary action.

**Encl: As above,**

  
(R.N.A Parida)  
Ch/RRC cum Dy. Chief Personnel Officer(IR)  
For Pr. Chief Personnel Officer

प्रतिलिपि प्रेषित/Copy to :

- 1) महाप्रबंधक के सचिव/पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वर
- 2) मुकाधि/मुकाधि(प्रशा.), उप म.प्र. अध्यक्ष(रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ)
- 3) उप मुख्य प्रबंधक(सू.प्रौ), उप मुकाधि(औ.सं.एवं कल्याण), वकाधि(इंजी.)
- 4) वकाधि(मुख्या.), वकाधि(स्टाफ), वकाधि(राज. एवं न्याया.)

144  
7/2/20

-1-

RBE No. 15/2020

Clarification/Corrigendum No.100

es/R  
uo fo  
cpo(a)  
fleo  
72

95

Government Of India  
Ministry Of Railways  
(Railway Board)

No. 2018/E (Sports)/4(1)/7/INC

dated 31.01.2020

The General Manager (P)  
All Zonal Railways, Production Units and other units.

ECOP


Sub: Clarification of grant of Advance incentive increments to sportspersons.

Attention is invited to Board's letter no E(Sports/2000/Policy/INC/4 dated 24.07.2000 wherein it was clarified that advance increments granted to sportspersons and coaches will be treated as pay for all purposes and these increments will not be absurd in further increment. All benefits such as calculation of DA/HRA, CCA fixation of pay on promotion, retirement benefit etc. will be admissible on such increments.

1.1 In a further letter No. E(Sports)/2003/Policy/INC/1 dated 09.07.2009, it was advised that "the incentive increments granted to sportspersons would continue to be drawn at the same rate till retirement and these increments will not be counted for any service matters like pay fixation on promotion, retirements or DA/CCA etc. These increments will be in the form of Personal Pay, equal to the amount of the next increment due at the time of grant of the concession and will remain fixed during the entire service".

2. The matter has been reviewed and the following are clarified:-
- (i) Prior to 09.07.2009: advance increments granted to sportspersons/coaches are treated as pay for all purpose and count for all benefits of pay on promotion, retirement benefits etc. are admissible.
  - (ii) On or after 09.07.2009: Advance increments granted to sportspersons are to be drawn at the same rate till retirement and these increments are not counted for any service benefits like pay fixation on promotion retirement benefits etc.

This is issued in consultation with Finance Directorate of Ministry of Railways (Railway Board).

  
(Bhaskar Roy Choudhury)  
Dy. Director Estt.(Sports),  
Railway Board

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA  
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS  
(रेलवे बोर्ड)/(RAILWAY BOARD)

सं. 2018/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/7/आईएनसी

दिनांक 31.01.2020

महाप्रबंधक (कार्मिक)  
सभी क्षेत्रीय रेलें

**विषय: खिलाड़ियों को अग्रिम प्रोत्साहन वेतनवृद्धि देने के संबंध में स्पष्टीकरण**

बोर्ड के दिनांक 24.07.2000 के पत्र सं. ई(स्पोर्ट्स)/2000/पॉलिसी/आईएनसी/4 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि खिलाड़ियों और कोचों को प्रदान की गई अग्रिम वेतनवृद्धियों को सभी प्रयोजनों के लिए वेतन माना जाएगा और इन वेतनवृद्धियों को भावी वेतनवृद्धियों में समाहित नहीं किया जाएगा। सभी लाभ जैसे महंगाई भत्ता/मकान किराया भत्ता, सीसीए, पदोन्नति पर वेतन का निर्धारण, सेवानिवृत्ति लाभ आदि ऐसी वेतनवृद्धियों पर अनुमेय होंगे।

1.1 दिनांक 09.07.2009 के एक अन्य पत्र सं. ई(स्पोर्ट्स)/2003/पॉलिसी/आईएनसी/1 में यह सूचित किया गया था कि "खिलाड़ियों को प्रदान की गई प्रोत्साहन वेतनवृद्धि सेवानिवृत्ति तक समान दर पर जारी रहेगी और इन वेतनवृद्धियों को किसी अन्य सेवा मामलों, जैसे पदोन्नति पर वेतन का निर्धारण, सेवानिवृत्ति अथवा महंगाई भत्ता/सीसीए आदि के लिए नहीं गिना जाएगा। ये वेतनवृद्धियां, रियायत प्रदान करते समय देय अगली वेतनवृद्धि की राशि के बराबर निजी वेतन के रूप में होंगी और संपूर्ण सेवा के दौरान यथावत बनी रहेंगी।"

2. इस मामले की समीक्षा की गई है और निम्नलिखित स्पष्ट किया जाता है:-

- (i) खिलाड़ियों/कोचों को 09.07.2009 से पूर्व प्रदान की गई अग्रिम वेतनवृद्धियों को सभी प्रयोजनों के लिए वेतन के रूप में माना जाएगा और इन्हें अनुमेय पदोन्नति पर वेतन के सभी लाभों, सेवानिवृत्ति लाभों आदि के लिए गिना जाएगा।
- (ii) खिलाड़ियों को 09.07.2009 को अथवा उसके बाद प्रदान की गई अग्रिम वेतनवृद्धियों को सेवानिवृत्ति तक समान दर से दिया जाएगा और इन वेतनवृद्धियों को किसी सेवा

संबंधी लाभ जैसे पदोन्नति पर वेतन निर्धारण, सेवानिवृत्ति लाभों आदि के लिए नहीं गिना जाएगा।

इसे रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के वित्त निदेशालय के परामर्श से जारी किया जा रहा है।

(भास्कर राय चौधरी)

उप निदेशक, स्थापना (स्पोर्ट्स)

रेलवे बोर्ड

सं. 2018/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/7/आईएनसी

दिनांक 31.01.2020

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा, सभी भारतीय रेलों एवं उत्पादन इकाइयां।
2. भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।
3. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी भारतीय रेलों एवं उत्पादन इकाइयां।
4. मानद जनरल सेक्रेटरी, खेलकूद एसोसिएशन सभी भारतीय रेलों एवं उत्पादन इकाइयां।

उप निदेशक स्था. (स्पोर्ट्स)

सं. 2018/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/7/आईएनसी

दिनांक 31.01.2020

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, 4 स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, 3 चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली।
3. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, 7-जीएफ, भू-तल, रेल भवन, नई दिल्ली।
4. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, कमरा नं. 48, रेल भवन, नई दिल्ली।

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड